

**कार्यालय,
राज्य प्रशिक्षण शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिचर सम्बद्ध/2019/1332

लखनऊ दिनांक: 15-6-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अभिज्ञ प्राथमिक स्तर की शिक्षा परिषद द्वारा सैद्धिक मात्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तर पर प्राथमिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अग्रतः, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में मात्र 2019-20 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/सम्बद्धता/प्रवेश प्रस्ताव जूटि/करी हेतु मात्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद-17 में डिप्लोमा इन कार्मसी सहायक सहायक सहायक करने वाली नई संस्था का प्रदान प्रदान गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विधान-विनई का निर्माण निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्मसी सहायक जिन्हें मात्र 2019-20 हेतु एअरार्डसीटीआईए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पीसीआईए द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त एअरार्डसीटीआईए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूच सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संसुति प्रदान की गयी है, जो संसुच में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीसीआईए अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसुच में बैठक आहत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संशुच प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित कार्यालय में सम्भित कराया जा सके।

अतः निम्नानुसार सम्भित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा मात्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखकर एवं कसमें अभिज्ञ प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एअरार्डसीटीआईए/पीसीआईए द्वारा अनुमोदन प्राप्त संस्था	परिषद द्वारा मात्र 2019-20 में अनुमोदन प्रदान प्रदान
1	4719 विद्युत् प्राथमिकी शिक्षण संस्था विद्युत्-द्वारा (लखनऊ) 1100-जवाहर, लखनऊ- 200181	डिप्लोमा इन कार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअरार्डसीटीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमन-2002 तथा अन्य निर्णय विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुसुच निर्माण समिति द्वारा निर्धारित सुसुच वीस वर्षीय हेतु प्रदान किये जाये हेतु मात्र 20,00,00/- प्रतिवर्ष, जो प्राथमिकी सहायक हेतु मात्र 10,00,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय सहायकों को वर्षीय प्रवेश सहायक के अतिरिक्त हेतु मात्र 12,50,00,00 प्रतिवर्ष सुसुच की प्रवेश प्रस्ताव/अन्य से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राथम/प्राथमिकी से सुसुच के सम्भल से प्राप्त-प्राप्त का प्रदान प्राप्त निर्णय किये जाने

कार्यालय,
राजिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविद्यपरिषद् समन्वयता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

प्रकारित्व जाप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कौमोसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ में समन्वयता/समन्वयता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में समन्वयता समिति की बैठक सत्र 2021-22 हेतु बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को समन्वयता पूर्व में संबन्धित संस्थाओं को समन्वयता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सद्ों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु समन्वयता/समन्वयता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वयता समिति की बैठक में निर्णय निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश सहित प्रवेश क्षमता हेतु समन्वयता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 4119-SHYMURAT PHARMACY COLLEGE VILL- BEHRA(RAGGHUPUR) TEHSIL-KERAKAT,JAUNPUR-222181

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई।सी।टी।ई।पी।सी।आई।टी। द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	60	60
1	DIPLOMA IN PHARMACY			

समन्वयता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई।सी।टी।ई।पी।सी।आई।टी। द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992, रीमेकर विनियमवर्ती-2000 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों या अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रु० 99150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45200.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों पाठ्यक्रमों हेतु वर्षों फार्मोसी पाठ्यक्रम के अधिका हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिका छात्र/छात्रिका से शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर प्राशन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आसन्नदेश प्रणाली होगी, और तदनुसार कार्यवाही किये जाना आवश्यक होगा। फॉर्म निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फॉर्म का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फॉर्म की नवीकरण करें लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संगुप्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवधि छात्रों को ही प्रवेश दिए जायेगा। शर्तों के रिश्ता सत्र जाने की तिथि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समन्वयता/समन्वयता विस्तार प्रदान करने के अनुसार विनियम एवं समन्वयता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई।सी।टी।ई।पी।सी।आई।टी। से सम्बन्धी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमवर्ती/विनियमवर्ती/आसन्नदेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगुप्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ दिल्लीमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ नई वी सी आई, आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असाफल्य रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम चलाया जाता है तब दूसरे बाद के संबंध में भा. शासनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन का द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीओआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा संस्था उन्हें प्रवेश की एकाउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीमें प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्व-सञ्चा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान प्रविष्टि हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसके जानकारी होनी है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने को अनुमोदना की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण एवं अन्य सार्व-सञ्चा एतनाईसीपीटीआईके पीपीओआईपरिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विषमसुखर अनुशासनात्मक कार्यवाही नई जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

प्रीति-:

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHIVMURAT PHARMACY COLLEGE, VILL- BEHRA (RAGGHUPUR) TEHSIL- KERAKEAT, JAUNPUR-221131



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव